संख्या-2/254सीएम/9-3-13-66सी/2013

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग -3 लखनऊ: दिनॉक: 19 सितम्बर 2013

विषय: उ0प्र0 जल निगम की विषम आर्थिक परिस्थिति के दृष्टिगत सेवानैवृत्तिक दायित्वों के एक मुश्त निपटारे हेतु रू0 88 करोड़ का अनुदान अथवा दीर्घावधि ऋण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-99/प्र-1/2005-0347/13, दिनॉक 10-07-2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उ0प्र0 जल निगम का गठन उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, को परिवर्तित कर किया गया था। उ0प्र0 जल निगम में किये जा रहे कार्यों पर सेंटेज धारित कर अधिष्ठान सम्बन्धी दायित्वों को वहन किये जाने की व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत की गयी है। चूँकि उ0प्र0 जल निगम स्वायत्तशासी अभिन्त्रण विभाग है तथा जल निगम के कार्मिकों को वेतन आदि का भुगतान सेंटेज की धनराशि से किया जाता हैा इस मद में राज्य सरकार द्वारा वेतन व अन्य दायित्वों के भुगतान हेतु अनुदान नहीं दिया जाता हैा अत: उ0प्र0 जल निगम कार्मिकों के दायित्वों के निर्वहन का पूर्ण उत्तरदायित्व जल निगम का है। इस प्रयोजनार्थ जल निगम को ऋण दिये जाने का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं है।

3- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in

http://shasnadesh.up.nic.in

संख्या-1/1839/9-3-13-52सी/2013

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
नगर विकास अनुभाग -3

लखनऊ: दिनॉक: 19 सितम्बर 2013

विषय: आदेश संख्या -628/ अ-4-2/191-0034/11, दिनॉक 26-4-2011 से आच्छादित नियमित कर्मचारी (फील्ड) आश्रित नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-02/अ-4-2/191-0034/13, दिनॉक 24-04-2013 एवं पत्र संख्या 06/अ-4/191-0034/13 दिनॉक 10-07-2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासनादेश संख्या-634/9-3-11-243सी/97 दिनॉक 12-04-2011 में अंकित 3134 अधिसंख्य पदों के अनुसार नियमित किये गये फील्ड कर्मचारियों को आश्रित नियुक्ति देय है या नहीं पर मार्ग दर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत व्यक्ति की सेवायें विनियमित कर दिये जाने की तिथि से उसे मौलिक रूप से नियुक्ति माना जाता है। मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु पश्चात मृतक आश्रित को सेवानियमावली,1974 के अन्तर्गत उनके आश्रित को सेवायोजन किया जा सकता है। तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in